

॥ $\frac{06}{24}$ पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक व वकील शर्मा
उपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थित होने के कारण
पत्रना - पत्र से संबंधित मूल दावा अदम पेशी
अदम दायरी में खारिज किया जा चुका है।
जिससे यह पत्रना - पत्र आगे चलने योग्य नहीं है।
अतः यह पत्रना - पत्र इसी सत्र पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली निर्दिष्ट में शुभारंभ की जावे
तथा तस्वीब तकमील की जाकर दायरी दफ्तर
की जावे।